उत्तर प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अनुभाग--1

प्रकीर्ण

30 जन. 1992 ई0

सं0 3366/17-ए--242/1-91--संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश निर्वाचन निदेशालय अधिकारी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

भाग एक--सामान्य

1--संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश निर्वाचन निदेशालय अधिकारी सेवा नियमावली, 1992 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2--सेवा की प्रास्थिति--उत्तर प्रदेश निर्वाचन निदेशालय अधिकारी सेवा मे समूह "क" और समूह "ख" के पद समाविष्ट हैं ।

3--परिभाषायें--जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में--

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार निर्वाचन विभाग से है;

(ख) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(ग) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है,

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(छ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश निर्वाचन निदेशालय अधिकारी सेवा से है;

(ज) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(झ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग दो- संवर्ग

4--सेवा का संवर्ग- (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गई है :

पद का नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
अनुभाग अधिकारी	1	3	4
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी	..	1	1

परन्तु--

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(2) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग तीन--भर्ती

5--भर्ती का स्रोत--सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :

(1) अनुभाग अधिकारी ..	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर वर्ग सहायक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा ।
(2) सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी ..	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अनुभाग अधिकारी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, पदोन्नति द्वारा ।

6--आरक्षण--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा ।

भाग चार--भर्ती की प्रक्रिया

7--रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा ।

8--अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया--अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी ।

9—सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—(1) सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए [illegible] के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसका गठन निम्न प्रकार किया जायेगा—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी ... अध्यक्ष

(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग ... सदस्य
या उनका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो संयुक्त
सचिव से निम्न स्तर का न हो

(तीन) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ... सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) पदोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में, जैसी कि वह उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाता है, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग पांच—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

10—नियुक्ति—(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम को उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति नियम 8 और 9 के अधीन तैयार की गई सूचियों में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता-क्रम में किया जायेगा जैसी कि, यथास्थिति, चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय।

11—परिवीक्षा—(1) सेवा में या किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिये गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

12—स्थायीकरण—उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह घोषणा करते हुए जारी किया गया आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

13—ज्येष्ठता—किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग छः—वेतन इत्यादि

14—वेतनमान—(1) किसी श्रेणी के पद पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्न प्रकार है :—

अनुभाग अधिकारी -- 2000-60-2300-द0 रो0-75-3200-100-3500 रुपये।

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी -- 3000-100-3500-125-4500 रुपये।

15—दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड—किसी अनुभाग अधिकारी को दक्षतारोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि—

(1) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय; और

(2) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग सात—अन्य उपबन्ध

16—पक्ष समर्थन—किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

17—अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

18—सेवा की शर्तों में शिथिलता—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहां नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायगा ।

19—व्यावृत्ति—इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3366/17-A-242—1-91, dated June 30, 1992 :

No. 3366/17-A-242—1-91

June 30, 1992.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Election Directorate Officers Service.

PART I—*General*

1. Short title and commencement.— (1) These Rules may be called The Uttar Pradesh Election Directorate Officers Service Rules, 1992.

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the service.—The Uttar Pradesh Election Directorate Officer Service comprises Group "A" and "B" post.

3. Definitions.— In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context—

(*a*) "Appointing authority" means the Secretary to the Government in Election Department;

(*b*) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission ;

(*c*) "Constitution" means the Constitution of India ;

(*d*) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh ;

(*e*) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(*f*) "Member of the service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service ;

(*g*) "Service" means the Uttar Pradesh Election Directorate Officers Service ;

(*h*) "Substantive appointment" means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service, and made after selecton in accorance with the rules, and if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government ;

(*i*) "year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calend r year.

PART II—*Cadre*

4. Cadre of service.— (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be d termind by the Government from time to time.

(2) The strength of the Service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as follows :

Name of post	Permanent	Temporary	Total
Section Officer	1	3	4
Assistant Chief Electoral Officer.	..	1	1

Provided that .—

(1) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation, or

(2) the Governor may create such additional permanent or temporary posts from time to time as he may consider proper.

PART III—*Recruitment*

5. Source of recruitment — Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources :

(1) *Section Officer*— By promotion from amongst substantively appointed Upper Division Assistants who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment.

(2) *Assistant Chief Electoral Officer*— By promotion from amongst substantively appointed Section officers who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

6. **Reservation.**— Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART IV—*Procedure of recruitment*

7. **Determination of vacancies.**— The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.

8. **Procedure for recruitment by promotion to the post of Section Officer.**— Recruitment by promotion to the post of Section Officer shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with the Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended from time to time.

9. **Procedure for recruitment by promotion to the post of Assistant Chief Eelectoral Officer.**— (1) Recruitment by promotion to the post of Assistant Chief Electoral Officer shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through a Selection Committee constituted as follows :

(i) Appointing Authority	*Chairman.*
(ii) Secretay to the Government in Personnel Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary.	*Member.*
(iii) Joint Chief Electoral Officer	*Member.*

(2) The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by selection (for posts outside the Purview of Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986 and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record pertaining to them as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

PART V—*Appointment, probation, confirmation and seniority*

10. **Appointment.**—(1) The Appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 8 and 9 as the case may be.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of the persons in the order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.

11. **Probation.**— (1) A person on substantive appointment to a post or service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or the extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post.

(4) A probationer, who is reverted under sub-rule (3), shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

12. Confirmation.— The order issued by the appointing authority under sub-rule (3) of rule 5 of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, declaring that the probationer has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

13. Seniority.—The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with "The Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991" as amended from time to time.

PART VI—*Pay etc.*

14. Scale of pay.— (1) The scales of pay admissible to persons appointed to any category of post, whether in substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are given as follows:

(i)	Section Officer	Rs. 2,000—60—2,300—E.B.—75—3,200—100—3,500.
(ii)	Assistant Chief Electoral Officer.	Rs. 3,000—100—3,500—125—4,500.

15. Criteria for crossing efficiency bar.— No Section Officer shall be allowed to cross the efficiency bar unless—

(i) his work and conduct is found to be satisfactory, and

(ii) his integrity is certified.

PART VII—*Other provisions*

16. Canvassing.— No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

17. Regulation of other matters.— In regard to matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

18. Relaxation form the conditions of service.— Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of a person appointed to the Service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding any thing contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner :

Provided that where a rule has been framed in consulation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

19. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations and other consession required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

आज्ञा से,

मोहिन्दर सिंह,

प्रमुख सचिव, निर्वाचन ।

[विज्ञप्ति—राजपत्र दिनांक 10-10-92, भाग 1-क में प्रकाशित ।]